आदेश

मकर सक्रान्ति का पर्व दिनांक 14 जनवरी, 2021 को होना प्रस्तावित हैं। जिसके दृष्टिगत जनपद हरिद्वार में अत्याधिक संख्या में यात्रियो/श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना हैं। कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत अधिक भीड–भाड़ वाले स्थानों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों/एस0ओ0पी0 का अनुपालन किया जाना आवश्यक हैं। यात्रियों/श्रद्धालुओं के कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु निम्न शर्तो का पालन करना होगा :–

1– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धार्मिक/समागंम के सम्बन्ध में जारी तत्सम्बन्धी दिशा–निर्देश व एस0ओ0पी0 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2– मकर सक्रान्ति पर्व पर स्नान हेतु हरिद्वार आने वाले व्यक्तियो/श्रद्धालुओं से अपेक्षा की जाती है कि वे आगमन तिथि के पूर्व 05 दिवस की अवधि में कराई गई आर0टी0–पी0सी0आर0 विधि द्वारा कोविड–19 परीक्षण की ऋणात्मक (Negative) रिर्पोट के साथ आयें।

3– गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोविड–19 संकमण से बचाव हेतु जारी निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को यह सलाह दी जाती है कि वे अति आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों को छोडकर मकर संक्रान्ति के स्नान पर्व में सम्मलित ना हो तथा अपने घर पर ही रहे।

4– धर्मशालाओं/आश्रम/होटल/गेस्ट हाऊस सम्बन्धित जगह जहाँ पर यात्री/श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं तो सम्बन्धित प्रबन्धन द्वारा उन सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिग करवायी जाये, यदि किसी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण से सम्बन्धित लक्षण मिलते है तो इसकी सूचना निम्न हैल्पलाईन नम्बरो–7055258800, 7900224224, 0134–223999, 239029 (1077 टोल फ्री) पर देने का कष्ट करें।

5– यात्रियो/श्रद्वालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग (दो गज की दूरी) एवं मास्क का प्रयोग तथा सेनेटाइजेशन का प्रयोग किया जाना आवश्यक होगा।

6– दुकानो/होटल/धर्मशालओं/व्यपारिक संस्थानों आदि के सम्बध में दिनांक 25–11–2020 को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तथा दिनांक 29–11–2020 को उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों एवं एस0ओ0पी0 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

7– कोविड–19 संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों व विभिन्न सम्बन्धित एस0ओ0पी0 का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध Epidemic Diseases ACT 1897 व Covid Regulations-2020 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सी0रविशंकर)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार।

संख्याः 10255/आ0प्र0–कोविड–19–हरिद्वार दिनांकः 11 जनवरी, 2021

प्रतिलिपिः– **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1– मुख्य सचिव, महोदय उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3– सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तरखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी को सादर सूचनार्थ।
5– मेलाधिकारी, कुम्भ मेला–2021, हरिद्वार।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश/एस0ओ0पी0 का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु सम्बन्धित को र्निदेशित करने का कष्ट करे।
7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
8– अपर जिलाधिकारी, वि0रा0/प्रशासन, हरिद्वार।
9– नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार।
10– मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
11– नगर मजिस्ट्रेट, हरिद्वार।
12– पुलिस अधीक्षक, यातायात, हरिद्वार।
13– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार ।
14– समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट(स्नान पर्व), जनपद हरिद्वार।
15– जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को इलैक्ट्रोनिक/प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से निःशुल्क प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
16– प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम, कोविड–19, हरिद्वार।
17– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के प्रेषित कि उक्त सूचना को जनपद की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
18– आपदा प्रबन्धन अधिकारी, हरिद्वार।

जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
हरिद्वार।

Scanned by CamScanner